दस रुपये TEN RUPEES | दस रुपये TEN RUPEES

R343-II/08

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक निगरानी /07-08

भंवरसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत निवासी सेमलखेड़ी
तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर म०प्र०---निगरानीकर्ता

श्री कमल सिंह आंजना
अभि० द्वारा उज्जैन केम्प
पर प्रस्तुत।

विरूद्ध

§1§मानसिंह पिता रतनसिंह
§2§बनेसिंह पिता रतनसिंह
निवासी सेमलखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला शाजापुर
§3§अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सुसनेर जिला शाजापुर
§4§अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन

म०प्र०भू०रा०संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी आवेदन

-0-

माननीय महोदय,

K.Banjana
27.03.08
(कमल सिंह आंजना)
एडवोकेट

§1§ अपर आयुक्त महोदय उज्जैन द्वारा द्वितीय अपील क्रमांक 325/06-07 में पारित आदेश दिनांक 25-2-2008 से पीड़ित होकर इस आदेश के विरूद्ध निम्नानुसार निगरानी आवेदन समयावधि के अंदर प्रस्तुत है ।

§2§ यह कि §खं.1 आदेश दिनांक 25-2-2008 की प्रमाणित प्रति§ ग्राम सेमलखेड़ी तहसील नलखेड़ा की भूमि सं०न०1431/4 रकबा 0.596 प्रार्थी निगरानीकर्ता के भूमि स्वामी स्वत्वो की होकर उसके नाम पर दर्ज थी । पटवारी की त्रुटी से यह भूमि मानसिंह पिता रतनसिंह §रि0क्र01§ के नाम दर्ज होगई । यह त्रुटी दुरूस्त करने हेतु धारा 115-116 अंतर्गत प्रार्थी द्वारा तहसील न्यायालय नलखेड़ा में आवेदन दिया जो प्रकरण क्रमांक 2ए6ए/ 05-06 में पारित आदेश दिनांक 30-10-06 से स्वीकृत होकर इन्द्राज दुरूस्ती की गई विपक्षी द्वारा अ०वि०अ०सुसनेर के समक्ष अपील की गई जो अपील क्र08/06-07 में पारित आदेश दिनांक 8-5-07 से स्वीकृत होकर विचारण न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त किया गया ।

§3§ यह कि उक्त प्रथम अपील न्यायालय के आदेश दिनांक 8-5-07 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त महोदय द्वारा विवादित आदेश से अस्वीकार की गई इस आदेश के विरूद्ध निम्नांकित आधारो पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत है ।

R. 343-II/08 शाहजहाँपुर

23.9.2016	आवेदक की ओर से श्री एस०एस० उपाध्याय अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण नहीं चलाने का अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण नहीं चलाने के कारण समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) 23/9/16 Not press (हस्ताक्षर)
(हस्ताक्षर)		